तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स प्रवादी vs जगमोहन वगै० T-9.
6/2/19	वकील फरीकैन उप०। पत्रावली व आदेशिका का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा गतपेशी को पेश किया जवाब में कालम्बर टी.आई. का अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिए इस आदेशिका दुरुस्त की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/2/19 को पेश हो।
27/2/19	वकील फरीकैन उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 7/3/19 को पेश हो।
7/03/19	वकील फरीकैन उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दाखिल हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

पु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
24 / 18	अस्थायी निषेधाज्ञा	27.07.18	07.03.19

प्रसादी पुत्र श्रीया आयु 60 साल जाति बैरवा निवासी नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. जगमोहन पुत्र नैन्या उम्र 45 साल।
2. काडूलाल उर्फ बृजमोहन पुत्र नैन्या उम्र 40 साल।

जाति मीना निवासीयान नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री नदीम खॉन वकील प्रार्थी।
श्री मदनमोहन गुप्ता वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम नारौली डांग तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 923, 1108, 1862 कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा जो कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई काडू के बीच राजस्व अभियान 2017 मे बंटवारा होकर प्रार्थी के हिस्से मे आया तथा बाकी सब बरूअे बंटवारा काडू के हिस्से मे आया। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज व दखील है। अप्रार्थीगण सहजोर व ताकत वाले लोग है इनकी जाति का गांव मे आस पास के इलाको मे भारी राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव है। जिसके कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी जैसे गरीब व कमजोर तबके के लोगों को अपनी ताकत के बल पर आंखे दिखाकर जो मन मे आता है वह करते है। अप्रार्थीगण दोनो खास भाई है अप्रार्थी सं0 1 जगमोहन आये दिन मारपीट व नाजायज जमीनों पर कब्जे करने व घर मे घुसकर मारपीट करने की वारदाते करता रहता है। अप्रार्थीगण की नियत प्रार्थी के उक्त तीनों खसरा नम्बरान पर नाजायज कब्जा करने की बनी हुई है ऐसी सूरत मे वह प्रार्थी की कमजोरी का नाजायज लाभ उठाकर प्रार्थी की फसलों का नष्ट कर देते है। दिनांक 08.07.2018 को अप्रार्थीगण ने जमीन पर आकर धमकी देकर यह कहा कि तुम्हारी फसलों का हम काटकर ले जायेगे। उक्त जमीन को अप्रार्थीगण के नाम बेचानामा करादे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से ऐसा नही करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को जान से मारने व फसलों को नष्ट करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है बल्कि उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 923 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 1108 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नं0 1806 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम नारोली तहसील सपोटरा मे से खसरा नं0 923 मे से रकबा 01 बीघा डेढ बिस्वा व खसरा नं0 1108 मे से रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नं0 1806 मे से रकबा

Scanned by CamScanner

01 बीघा भूमि को प्रार्थी प्रसादी ने दिनांक 02.07.2009 को 5,00,000/– अक्षरे रूपये पांच लाख मे अप्रार्थीगण जगमोहन व काड़ा उर्फ बृजमोहन पुत्रान नैन्या सभी जाति मीना निवासी नारौली डांग को विक्रय कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त जमीन का कब्जा अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रसादी के पुत्र बजरंगलाल के समक्ष संभलवा दिया गया और कब्जा संभलवाकर अप्रार्थी नं0 1 व 2 के हक मे प्रार्थी प्रसादी व उसके पुत्र बजरंगलाल बैरवा के द्वारा स्टॉम्प कीमती 100/– रूपया किता एक पर अप्रार्थी नं0 1 व 2 के हक मे विक्रय पत्र इकरार नामा तहरीर कराकर उसी वक्त अप्रार्थीगण को सुपूर्द कर दिया और योम खरीद दिवस दिनांक 02.07.2009 से अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर बेचान दिवस से आज तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध मालिकाना काबिजाना नही है। उक्त आराजी मे अप्रार्थीगण द्वारा इस वर्ष बाजरा व तिली की फसल काश्त की है। दिनांक 12.09.2018 को उक्त खसरा नम्बर 923, 1108 पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का होना पटवारी हलका नारौली तहसील सपोटरा द्वारा अपनी फर्द मौका रिपोर्ट मे बताया गया है जो जवाब के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी के किसी भी हक हकूक पर कोई आघात नही है। प्रार्थी को कोई असुविधा नही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि मे से हक हकूक खातेदारी 1/2 हिस्से को स्वयं द्वारा दिनांक 02.07.2009 को अप्रार्थीगण को विक्रय करने से दिनांक 02.07.2009 को प्रार्थी के हक हकूक उक्त भूमि मे से समाप्त हो चुके है बल्कि पाबन्द किये जाने से हम अप्रार्थीगण को हक हकूकों पर गहरा आघात व अपूरणीय क्षति है। ऐसी सूरत मे दर0 प्रार्थी खारिज होने योग्य है। इसलिए दर0 निराधार व असत्य तथ्यों पर झूंठा वाद कारण बनाकर हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की बदनियति से पेश की है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम नारौली तहसील सपोटरा सम्वत् 2071–74 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी खसरा का सहखातेदार दर्ज है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे सावित है। प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध 100/– के स्टॉम्प पर विक्रय पत्र तहरीर की फोटो प्रति के अनुसार विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 का प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को बेचान किया हुआ है हालांकि उक्त तहरीर रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है किन्तु इससे यह बात स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा नही है। कब्जे के समर्थन मे पटवारी हलका नारौली डांग की फर्द मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत की है जिसमे विवादित आराजीयात के हिस्से 1/2 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त बताया है, प्रार्थी का कब्जा नही है इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा नही है और जब प्रार्थी का कब्जा ही नही है तो प्रार्थी को कोई असुविधा नही हुई है ना ही कोई अपूरणयी क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का सुतुलन एवं अपूरणयी क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सावित नही है। प्रार्थी के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner